कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

नीलामी–सूचना

एतदद्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद न्यायालय कासगंज के 18 न्यायालय भवन स्थित मामो कासगंज परिसर में लगे आम के 3 छोटे बागों की फसल नीलामी दिनांक **23.03.2019** को समय **4.30** बजे जनपद न्यायालय कासगंज के नजारत अनुभाग मे की जाएगी, इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित आकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते है, ठेके का विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से जानकारी ली जा सकती है।

जनपद न्यायालय मामो कासगंज परिसर में लगे आम के 3 छोटे बागों की फसल नीलामी नियम व शर्तेः–

1– ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2020–2021 दिनांक 01.04.2020 से 31.07.2021 तक रहेगी।

2– सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।

3– ठेके की धनराशि उसी समय जमा करनी होगी

4– प्रत्येक बोलीदाता को अंकन 5,000/ रूपये बोली बोलने से पूर्व जमा करने होगे तथा साथ में अपना आई.डी.प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।

5– बोली बोलने वाला व्यक्ति काली सूची के अन्तर्गत न आता हो, कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी प्रकार का कोई मामला विचाराधीन हो।

6– बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा।

7– ठेकेदार के पक्ष में छोड़े गये ठेके की धनराशि के मूल्य के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र स –31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100/रूपये का स्टाम्प पेपर लेकर आना होगा और अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

दिनांक– 13.03.2020

अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कासगंज।